भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 272

उत्तर देने की तारीख: **20/03/2023**

फर्जी विश्वविद्यालय

†*272 श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':

श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में अनेक फर्जी/गैर-मान्यताप्राप्त/ स्व-मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के संचालकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है और इन विश्वविद्यालयों को कब तक पूरी तरह से बंद किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'फर्जी विश्वविद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज' और श्री भागीरथ चौधरी द्वारा दिनांक 20/03/2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 272 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), फर्जी विश्वविद्यालयों के नाम प्रकाशित करता है। फर्जी विश्वविद्यालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण यूजीसी की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/page/Fake-Universities.aspx पर उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 4 संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालयों के रूप में चिन्हित किया गया है। इस सूची में राजस्थान का कोई संस्थान नहीं है।

(ग): कानून और व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। जब भी फर्जी विश्वविद्यालय का कोई मामला यूजीसी के संज्ञान में आता है, तो ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए वह संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखता है। इसके अलावा, यूजीसी समय-समय पर राष्ट्रीय हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची के बारे में सार्वजनिक नोटिस भी जारी करता है, जब कोई स्वघोषित संस्थान यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है/देखा जाता है, तो अवैध डिग्री प्रदान करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस जारी करता है तथा अपनी वेबसाइट पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित करता है।

*****